कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन) बैतूल

क्रमांक 11 अ–82/19–20/ खटगढ़/5820 बैतूल दिनांक 25– 06–2020

प्रति,

1– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
भैसदेही ।

2– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,
मुलताई ।

3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बैतूल ।

4– तहसीलदार आठनेर ।

विषयः– मौजा खटगढ़ तहसील आठनेर, निरगुड़ मध्यम परियोजना के पहुंच मार्ग के भू–अर्जन प्रकरण में विशेषज्ञ समिति की राय का प्रकाशन कराने बाबत।

–0–

विषयान्तर्गत भू–अर्जन प्रकरण में विशेषज्ञ समिति की राय प्राप्त हुई है जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त विशेषज्ञ समिति की राय का आपके कार्यालय, ग्राम स्तर एंव समुचित सरकार की वेबसाईट पर विधिवत प्रकाशन किया जाकर अवगत करावे ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(राकेश सिंह)
कलेक्टर,
बैतूल

पृ0क0 11 अ–82/ 19–20/खटगढ़ 5820 बैतूल दिनांक 25– 06–2020

प्रतिलिपिः–

1– प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
को विशेषज्ञ समिति की राय का विधिवत प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

कलेक्टर,
बैतूल

विषय :— निरगुड़ मध्यम परियोजना के पहुंच मार्ग हेतु मौजा खटगढ़ तहसील आठनेर की भूमि का अर्जन हेतु विशेषज्ञ समिति की राय ।

———00———

विषयांकित भूमि अर्जन के प्रकरण में निम्नानुसार विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था :—

ए — (तकनिकी विशेषज्ञ)

1/ श्री जी0पी. सिलावट, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई , अध्यक्ष

बी— (पुनर्व्यवस्थापन संबंधी दो विशेषज्ञ)

2/ श्री आर एन यादव, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग आठनेर

3/ उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग आठनेर,

सदस्य

सी—(दौ गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी)

4/ श्री के सी वागद्रे, शिक्षित एवं समाजसेवी निवासी आठनेर सदस्य

5/ श्री शशि भूषण जैसवाल, शिक्षित एवं समाजसेवी निवासी आठनेर , सदस्य

डी—(ग्राम पंचायत के दो प्रतिनिधि)

6/ सरपंच, ग्राम पंचाायत धनोरी सदस्य

7/ उपसरपंच ग्राम पंचायत धनोरी सदस्य,

उपरोक्त विशेषज्ञ समिति को निरगुड मध्यम परियोजना के पहुंच मार्ग, हेतु भू—अर्जन प्रकरण में पूर्व मे सामाजिक समाघात निर्धारण समिति के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति विशेषज्ञ समिति के नामांकित सदस्यों को प्रदाय की गई ।

अध्यक्ष, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल के द्वारा समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई जाकर निरगुड मध्यम परियोजना के पहुंच मार्ग हेतु भूमि के अर्जन के संबंध मे भू—अर्जन की प्रकिया एवं योजना से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी एवं प्रभावित परिवारों के व्यवस्थापन के संबंध मे तथा योजना से संबंधित लाभ की समस्त जानकारियों से अवगत कराया गया जिसके आधार पर विशेषज्ञ समिति के द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

(1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।

(2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

(3) प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु विधिनुसार एवं निर्देशों के तहत मुआवजा दिया जा रहा है ।

(4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है ।

(5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए है।

(6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है, समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।

(7) पर्यावरण पर कोई विपरित असर नही पडेगा। क्षेत्र मे जलस्तर की मात्रा अधिक होने के साथ वृक्षारोपण मे अधिक मात्रा मे किया जाकर वृक्षों को पर्याप्त पानी उपलब्ध होने की प्रबल संभावना है।

(8) क्षेत्र के पशु पक्षियों को वर्ष भर सुगमता से पानी प्राप्त होते रहेगा एवं उनके चारे आदि की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो सकेगी।

दिनांक 6.6.2020

1 [signature] 2 [signature] SDO WRD Athner 3 [signature] विजय कुमार उइके (RES) 4 [signature] 5 SBaiswal

6 [signature] 7 [signature] उपसरपंच

सरपंच
ग्राम पंचायत धनोरी